न्यायालय – विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्या. निवा.) प्रकरण, जालोर।

पीठासीन अधिकारी —— परवेज अहमद
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 131/2024

(CIS No. - 323/2024)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2024 पुलिस थाना बिशनगढ, जिला जालोर।

01. कालुराम पुत्र वगताजी, उम्र–42 वर्ष, निवासी–केशवना,
02. जेताराम पुत्र जोराराम, उम्र–38 वर्ष, निवासी–रायथल, पुलिस थाना नोसरा, जिला जालोर।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य।
02. डुंगाराम पुत्र हंसाराम, निवासी–केशवना, तहसील व जिला जालोर।

–अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.

उपस्थितिः–

01. विशिष्ठ लोक अभियोजक – राजस्थान राज्य।
02. श्री उत्तम कुमार गहलोत अधिवक्ता – प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।
03. श्री सुरेश कुमार सोलंकी अधिवक्ता – मुस्तगीस।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक 06.07.2024</u>**

01. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने पुलिस थाना, बिशनगढ़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2024 अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 506, 143 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम में जमानत पर रिहा करने हेतु जमानत का यह आवेदन पत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **439** के प्रावधान के तहत प्रस्तुत किया है।

02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 05.03.2024 को मुस्तगीस डुंगाराम ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 03.03.2024 को वक्त दोपहर करीबन 12:30 बजे वह व लाख सिंह, सुमेर सिंह की दुकान से बेरे जा रहे थे तभी अभय सिंह के मकान के पास पहुँचे ही थे कि सामने से एक वाहन बोलेरो केम्पर संख्या RJ16-GA-6780 में सवार होकर कालाराम पुत्र वगताराम, निवासी–केशवना, भावाराम पुत्र मांगाराम निवासी बालवाड़ा, जैताराम पुत्र जोराराम, अमराराम पुत्र भबूताराम निवासी रायथल व दो अन्य लोग थे। आते ही उन्होंने उनके रास्ते में बीच में गाड़ी रोकी तथा रोकते ही उसके साथ व लाख सिंह के साथ गाली–गलौच कर उसे जातिसूचक शब्द नीच, कमीण, भीलड़ा, कीड़ा बोलने लगे तथा उसके व लाख सिंह के साथ लाठियों, सरियों, पाईप से ताबड़तोड़ जान से मारने की नीयत से वार किये तथा कालाराम, भावाराम ने उसके कमर व कंधे पर लाठी व पाईप से चोटें मारी तथा जैताराम ने उसके मुंह पर मुक्के मारे जिससे नाक से खून निकलने लगा तथा लाख सिंह के कमर व कंधे पर चोटें मारी। हो–हल्ला करने पर सुमेर सिंह, रिडमल सिंह, शैतान सिंह छुड़ाने आये तो उनके साथ भी मारपीट कर उनके भी चोटें कारित की तथा जाते–जाते खत्म करने की नीयत से गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की तब फिर गाड़ी लेकर चले गये नहीं तो गाड़ी के नीचे खत्म कर देते फिर गाड़ी लेकर चले गये। वे इलाज हेतु जालोर अस्पताल गये जहाँ इलाज चला..... इत्यादि।

03. उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2024 पुलिस थाना, बिशनगढ़ में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ करते हुये उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 506/34 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम के

अपराध प्रमाणित मानकर उन्हे दिनांक 02.07.2024 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.07.2024 को प्रस्तुत किये जाने पर, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, तब से वे लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। इसी प्रक्रम पर प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जमानत हेतु प्रस्तुत किया।

04. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की बहस है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर कोई आरोप प्रमाणित नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की आराजी ग्राम केशवना में आई हुई है, जिसके सह–खातेदार लक्ष्मण सिंह, लाख सिंह, सुमेर सिंह का खेत आया हुआ है, जिस बाबत् आये दिन लक्ष्मण सिंह वगैरा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से उक्त जमीन पर कब्जा करने बाबत् झगड़ा करते रहते हैं, जिस हेतु पूर्व में भी लक्ष्मण सिंह वगैरा को पाबन्द करने हेतु प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा पुलिस थाना बिशनगढ़ समय–समय पर रिपोर्ट दी गई थी तथा अन्त में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा लक्ष्मण सिंह वगैरा के विरूद्ध एसडीओ कोर्ट, जालोर में विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जिससे नाराज होकर लक्ष्मण सिंह वगैरा ने कालूराम, जेताराम व भावाराम व अन्य के साथ गंभीर चोटें आईं थीं, जिसका मुकदमा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने लक्ष्मण सिंह व परिवादी के विरूद्ध दर्ज करवाया था जिसके एफ.आई.आर. संख्या 47/202 है जिससे लक्ष्मण सिंह वगैरा ने बचने हेतु अपनी राजनैतिक पहुँच का फायदा उठाकर उक्त झूठा मुकदमा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस से मिलीभगत कर दर्ज करवाया है। उक्त प्रकरण में अन्य मुलजिम भावाराम व अमराराम की जमानत पूर्व में श्रीमान् के न्यायालय से हो चुकी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं तथा यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के समक्ष आर्थिक कठिनाईयाँ उत्पन्न होगी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की सजा मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गरीब है तथा मुकदमे की जांच एवं विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है तब तक यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया तो हार्डकोर अपराधियों के सम्पर्क से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। विचारण के समय

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वरा गवाहों को धमकाने व भड़काने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान नियमित रूप से आगामी पेशियों पर उपस्थित होता रहेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

05. विद्वान् विशिष्ठ लोक अभियोजक ने उपर्युक्त तर्कों का पुरजोर विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण ने मुस्तगीस डूंगाराम व उसके साथी लाख सिंह का जाते हुये का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट कर उनके साधारण व गंभीर उपहतियाँ कारित की व जान से मारने की धमकी दी तथा नीच, कमीण, भीलड़ा, कीड़ा जैसे जातिसूचक शब्दों से संबोधित कर व गाली–गलौच कर साशय उनको अपमानित व अभित्रस्त किया। ऐसी स्थिति में अपराध की गम्भीरता को देखते हुये अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

06. मैंने उभय पक्षकारान् की बहस पर विचार किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

07. पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अपने साथियों के साथ मिलकर मुस्तगीस डुंगाराम व उसके साथियों लाख सिंह व सुमेर सिंह का रास्ता रोकने, उनके साथ मारपीट करने व जातिसूचक शब्दों से व फायसा गालियों से अपमानित करने का आरोप होना बतलाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 02.07.2024 से अभिरक्षा में है। हस्तगत मामले में सह–अभियुक्तगण भावाराम व अमराराम की जमानत न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं होना बतलाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये इस स्टेज पर इस प्रकरण में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

08. अतः प्रार्थी **01.** कालुराम पुत्र वगताजी, उम्र–42 वर्ष, निवासी–केशवना, **02.** जेताराम पुत्र जोराराम, उम्र–38 वर्ष, निवासी–रायथल, पुलिस थाना नोसरा, जिला जालोर द्वारा प्रस्तुत **439** दं.प्र.सं. को स्वीकार किया जाकर यह आदेश

दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त नियमित पेशी पर अपनी उपस्थिति बाबत् 25,000/– रूपये स्वयं के मुचलके व इतनी ही राशि का प्रतिभूति पत्र इस न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार पेश करा दें, तो उक्त प्रार्थीगण को जमानत पर आजाद कर दिया जाये।

(परवेज अहमद)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अनु. जाति एवं जनजाति
(अ.नि.) प्रकरण, जालोर

09. आदेश आज दिनांक 06.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परवेज अहमद)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अनु. जाति एवं जनजाति
(अ.नि.) प्रकरण, जालोर